तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज गोपालदान चारण़ बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार शेरगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 04 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोपालदान चारण, पता गांव व पोस्ट रामगढ जिला जैसलमेर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.11.18 में उसके द्वारा (1) वर्ष 2018–19 की कृषि अनुदान राजस्व ग्राम भाण्डू चारणान की भेजी गई लिस्ट जिसमें प्रत्येक किसान की कितने बीघों की और क्या क्या फसल की भेजी सम्पूर्ण ब्यौरा व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (तहसीलदार शेरगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(तहसीलदार शेरगढ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार शेरगढ) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	